कार्यालय– मुख्य शिक्षा अधिकारी, देहरादून।

पत्रांक : शिविर(बे0) / ~~3962-67~~ 292 / नवीनीकरण / 2021–22 / दिनांक 02 नवम्बर, 2021

नवीनीकरण आदेश

इस कार्यालय के पत्रांक अशा0(बे0) / 2410–16 / मान्यता / 2018–19 दिनांक 27.06.2018 के द्वारा रेडफोर्ट इण्टरनेशनल पब्लिक स्कूल, ऋषिकेश, देहरादून को प्री प्राइमरी से कक्षा 08 तक (अंग्रजी माध्यम) विद्यालय संचालन की अनुमति दिनांक 31.06.2021 तक प्रदान की गयी थी। आपके द्वारा प्रस्तुत स्वघोषणा पत्र के आधार पर दिनांक 01.07.2021 से आगामी पांच वर्षो के लिये नवीनीकृत किया जाता है और पांच वर्ष उपरान्त नवीनीकरण हेतु आवेदन करना अनिवार्य है। पूर्व आदेश की शेष शर्ते यथावत रहेगी।

(आर0एस0रावत)
जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0)
देहरादून।

पृ0सं0 शिविर(बे0) / 3962-67 / नवीनीकरण / 2021–22 तददिनॉक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक माध्यमिक / प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (मा0), देहरादून।
4. जिलाधिकारी, देहरादून द्वारा नामित सदस्य, जिला प्रोबेशन अधिकारी, जनपद देहरादून।
5. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी को इस आशय से कि आर0टी0ई0 नियमावली, 2011 के अनुसार आप विद्यालय निरीक्षकर्ता अधिकारी हैं, अतः अधिनियम एवं नियमावली में दी गयी व्यवस्था के अनुसार विद्यालयों का संचालन कराना सुनिश्चित करें, साथ ही समस्त विद्यालयों से समय–समय पर पूर्ण सूचनाएं विवरण प्राप्त कर पत्रावली में सुरक्षित रखें ताकि आवश्यकता पड़ने पर सूचनाएं आपके माध्यम से प्राप्त की जा सकें और विद्यालयों का सतत् निरीक्षण करते रहें।
6. सम्बन्धित प्रबन्धक / व्यवस्थापक / प्रधानाचार्य ।

जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0)
देहरादून।

Chairman
Red Fort International
P...lic School, Rishikesh

परिशिष्ट–तीन
प्रपत्र–3

कार्यालय – मुख्य शिक्षा अधिकारी, देहरादून।

पत्रांक अशा0(बे0) 2410-16 / मान्यता / 2018–19 दिनांक 27 जून, 2018

सेवा में,

प्रबन्धक / व्यवस्थापक / अध्यक्ष,
रेडफोर्ट इण्टरनेशनल पब्लिक स्कूल
ऋषिकेश, देहरादून।

विषय :– निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली–2011 के नियम 17 में उपनियम (6) के अन्तर्गत विद्यालय की मान्यता का प्रमाण–पत्र।

महोदय / महोदया,

आपके आवेदन पत्र के क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गये निरीक्षण के आलोक में आपके विद्यालय **रेडफोर्ट इण्टरनेशनल पब्लिक स्कूल ऋषिकेश, देहरादून को प्रीप्राइमरी से कक्षा 8 तक(अंग्रेजी माध्यम) संचालन हेतु 03 वर्षों दिनांक 01.07.2018 से 31.06.2021 तक** की अवधि के लिए स्वीकृति प्रदान की जाती है। प्रदत्त स्वीकृति निम्न शर्तों के अनुपालन में अधीन होगी :–

1. मान्यता किसी भी परिस्थिति में **कक्षा 8** तक की सीमा के बाहर मान्य नही होगी।
2. विद्यालय निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा।
3. विद्यालय अपनी कक्षा–1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चो का नामांकन अपने पडोस के कमजोर एवं वंचित समुदाय के बच्चो का करेगा तथा उन्हें निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जायेगा।
4. उपरोक्त क्रम संख्या–3 पर वर्णित बच्चो के मामले में विद्यालय को निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जाने वाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संचालित करेगा।
5. संस्था / विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का व्यक्तिगत अनुदान / कैपिटेशन शुल्क प्राप्त नही किया जाएगा तथा किसी भी बच्चे की परीक्षा या उसके माता–पिता / अभिभावक का साक्षात्कार नही किया जाएगा।
6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसको आय प्रमाण पत्र, नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद प्रवेश तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों से या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर मना नहीं करेगा।
7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएँगे–
   - (एक) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा
   - (दो) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रताडित नहीं किया जाएगा,
   - (तीन) किसी भी बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार की बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी,
   - (चार) प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बच्चे को नियम 35 के उपनियम (1) के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा,
   - (पाँच) अधिनियम के प्रावधानो के आलोक में निःशक्त / विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जाएगा,
   - (छः) शिक्षक, अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (1) तथा नियमावली के नियम 31 में प्राविधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे, और
   - (सात) शिक्षक, निजी–स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण–गतिविधि (टयूशन) में संलग्न नही होंगे।
8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम का अनुसरण करेगा।
9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्राविधानो के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के आनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।
10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्धृत मानकों एवं मानदंडों को बरकरार रखेगा। विद्यालय के अन्तिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवत होगा–

- विद्यालय–परिसर का क्षेत्रफल,
- कुल निर्मित क्षेत्र,
- खेल के मैदान का क्षेत्र,
- कक्षा–कक्षों की कुल संख्या,

Chairman
Red Fort International
Public School, Rishikesh

- प्रधानाध्यापक–सह–कार्यालय–सह–भंडार कक्ष
- बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग–अलग शौचालय
- पेयजल की सुविधा
- मध्याह्न भोजन के लिए रसोई–घर
- बाधारहित पहुँच
- शिक्षण अधिगम सामग्री / खेल–कूद उपकरण / पुस्तकालय की उपलब्धता।

11. इस मान्यता द्वारा केवल स्वीकृत परिसर मे ही विद्यालय सचालित किया जायेगा। विद्यालय के नाम से अन्य कही विद्यालय सचालित नही होगा।
12. विद्यालय भवन अथवा अन्य सरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शैक्षिक गतिविधियो हेतु किया जायेगा। इस भवन / सरचना या मैदान का उपयोग किसी प्रकार के व्यावसायिक कार्य हेतु नही किया जायेगा।
13. विद्यालय सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निबन्धित सोसाइटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय मे लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से सचालित होगा।
14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के सघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए सचालित नही होगा।
15. लेखा का अकेक्षण एव उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमो के आलोक मे उपयुक्त लेखा विवरणी तैयार की जाएगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति, प्रतिवर्ष मुख्य शिक्षा अधिकारी को भेजी जाएगी।
16. आपके विद्यालय को आवंटित **मान्यता कोड संख्या 967** है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने मे इस कोड को कृपया अंकित एव उद्धृत किया जाए।
17. राज्य सरकार / मुख्य शिक्षा अधिकारी के द्वारा समय–समय पर माँगे गये प्रतिवेदन एव सूचनाएँ विद्यालय के द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी और राज्य सरकार के स्तर से मान्यता की शर्तो की निरन्तर पूर्ति की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से सम्बन्धित कठिनाइयों को दूर करने हेतु समय–समय पर निर्गत निर्देशो का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा।
18. यदि सोसाइटी के पजीकरण के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।
19. **परिशिष्ट–चार** के रूप मे सलग्न अन्य शर्ते।
20. यदि विद्यालय द्वारा अधिनियम में दी गयी धाराओं की अवहेलना प्रमाणित होती हैं तो विद्यालय की मान्यता समाप्त कर दी जायेगी।

नोट– औपबन्धन मान्यता के बिन्दु–
नियमानुसार आगामी सत्र डी0एल0एड0 शिक्षकों की तैनाती करना सुनिश्चित करें। विद्यालय को मान्यता प्राप्ति के दो माह के अन्दर प्रशासन योजना उपलब्ध करानी अनिवार्य है।

भवदीय

ह0

(एस0बी0जोशी)
मुख्य शिक्षा अधिकारी,
देहरादून।

पृ0स0 अशा0(बे0) / 15–क / / मान्यता / 2018–19 तद्दिनाँक।

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0), देहरादून।
4. जिलाधिकारी, देहरादून द्वारा नामित सदस्य।
5. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी को इस आशय से कि आर0टी0ई0 नियमावली, 2011 के अनुसार आप विद्यालय निरीक्षकर्ता अधिकारी हैं, अत अधिनियम एव नियमावली मे दी गयी व्यवस्था के अनुसार विद्यालयों का संचालन कराना सुनिश्चित करें, साथ ही समस्त विद्यालयों से समय–समय पर पूर्ण सूचनाएं विवरण प्राप्त कर पत्रावली मे सुरक्षित रखें ताकि आवश्यकता पडने पर सूचनाएं आपके माध्यम से प्राप्त की जा सके और विद्यालयों का सतत निरीक्षण करते रहें।

Chairman
Red Fort International Public School, Rishikesh

(एस0बी0जोशी)
मुख्य शिक्षा अधिकारी
देहरादून।